**अपील सूचना अधिकार संख्या 194/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23—के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उपपंजियक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**01.05.2017**

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2016 के द्वारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, उपपंजियक श्रीगंगानगर से चाही गई सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नही करवायी गयी है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2016 के द्वारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, उपपंजियक श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थी:—

> आपके पत्रांक 192—194 दिनांक 04.01.16 में यह तथ्य अंकित कि लोक सभा/विधान सभा चुनाव कार्यो के निष्पादन करने वाले बी.एल.ओ. द्वारा मुख्यालय छोड़ने संबंधी अवकाश श्रीमान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) के क्षेत्राधिकार में है आपके क्षेत्राधिकार में नही है।
>
> 1— यह तथ्य जिस अधिनियम की जिस धारा व जिस निर्वाचन अधिनियम, आदेश की जिस धारा या पत्रांक, क्रमांक या दिनांक को जारी किया गया है। उसकी सूचना व नियम व आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि।
>
> 2— बिन्दु संख्या की सूचना उपलब्ध न करवाने की अवस्था में यह प्रमाणित है कि आप द्वारा अपने पत्रांक में कथन सूचना के अधिकार अधिनियम प्रार्थी के प्रार्थना दिनांक 08.12.15 में मिथ्या व अपूर्ण अंकित किये है।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में उपपंजियक श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 1627 दिनांक 29.12.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पत्र सं0 1462 दिनांक 09.12.2016 द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी है।

उपपंजियक श्रीगंगानगर ने पत्र संख्या 1462 दिनांक 09.12.2016 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई है:—

> उपरोक्त प्रसंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि बीएलो की नियुक्ति सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण (एसडीएम) द्वारा की जाती है। मुख्यालय छोड़ने संबंधी सूचना पूर्व में आपको उपलब्ध करवाई जा चुकी है। कार्यालय द्वारा कोई भी मिथ्या सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। नियम व आदेश संबंधी सूचना प्राप्त हेतु कार्यालय पत्र सं0 1453 दिनांक 16.11.2016 द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर से निवेदन किया गया है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 11.11.16 के सलंग्न उपपंजियक श्रीगंगानगर के पत्र सं0 192—194 दिनांक 04.01.16 की प्रति के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ का संबध निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर के कार्यालय से है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचनांओ पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर के द्वारा ही निर्णय लिया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन सं0 6341 दिनांक 11.11.16 पर नियमानुसार सूचनांओ के संबंध में आदेश प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर नियमानुसार निर्णय करें और यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी यदि चाही गई सूचनांओ के संबंध में उनके कार्यालय में उपलब्ध संबंधित अभिलेख का निरीक्षण कर उसमें से कोई सूचना लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर व उपपंजियक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 01.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( ज्ञाना राम )
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर